न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या 118/2025
जीसीएमएस नं0 2025/201

1. श्रीमती निधि रानी पत्नी स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल निवासी मकान नम्बर 123 बैकुंठपुरी राजनगर, कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. गौरव कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल
2. सोनाली गौतम पत्नी श्री गौरव कुमार गौत्तम
3. सौरभ गौतम पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल
निवासीगण मकान नम्बर 123 बैकुंठपुरी राजनगर, कोटा राजस्थान

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री हर्षित गौत्तम, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अंकुर जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 2

निर्णय

दिनांक— 15.04.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 06.11.2025 को आदेश पारित किया है कि—"प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 व 3 को पाबंद किया जाता है कि वह अपनी माता को 2500/—, 2500/— रूपये मासिक अर्थात 5,000/ रूपये मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।
2. अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 06.11.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.12.2025 को जरिये अभिभाषक हर्षित गौत्तम के पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से अभिभाषक श्री अंकुर जैन का वकालतनामा पेश हुआ । शेष रेस्पोडेन्ट 1 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी । वकील उभयपक्ष ने अपनी अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई ।
3. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा यह भली भांति सावित व प्रमाणित कर दिया था कि तथाकथित सम्पत्ति मकान नम्बर 123, बैकुंठपुरी राजनगर कोटा जो कि अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे अपीलान्ट स्वयं ने अपनी मेहनत की कमाई से निर्मित करवाया है, जिस पर अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स को केवल मात्र पुत्र व पुत्रवधु होने के कारण वतौर लाईसेन्स रहने की अनुमति बाबत दिया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स कम 1 लगायत—3 को मकान से निष्कासन का आदेश न करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा यह भी प्रमाणित कर दिया गया था कि तथाकथित मकान जिसके समस्त दस्तावेजात अपीलान्ट के नाम से बने हुए है, इस तथ्य को स्वयं रेस्पोडेन्टगण ने भी स्वयं अपने

जवाब में भी उक्त मकान को अपीलान्ट का ही माना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजर अंदाज कर मनमर्जी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपनी साक्ष्य से यह भली भांति साबित व प्रमाणित कर दिया गया था कि रेस्पोडेन्ट्स जो कि आये दिन अपीलान्ट के साथ बदतमीजी, गाली–गलोच व लडाई–झगडा करके शांति भंग की जाती रही है और ऐनकेन प्रकारेण अपीलान्ट के स्वअर्जित सम्पत्ति मकान पर कब्जा करने पर आमादा रहते हुये अपीलान्ट को मकान से बेदखल करने पर आमादा है और इस हेतु रेस्पोडेन्टस कई बार प्रयास भी कर चुके है तथा इसी दुराशय व उदेश्य की पूर्ति हेतु कई बार अपीलान्ट के साथ अभद्र व्यवहार कर व मारपीट करके घर से निकालने पर आमादा है, जिसके कारण अपीलान्ट को काफी शारीरिक व मानसिक संताप झेलना पडा है तथा अपीलान्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से तथ्यों के सर्वथा विपरीत जाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य व तथ्यों पर गोर करके प्रार्थीया को राहत प्रदान किया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और जेर अपील आदेश पारित कर दिया गया । रेस्पोडेन्ट्स कम 1 राजकीय सेवा में कार्यरत है तथा रेस्पोडेन्ट्स कम 1 को अच्छा वेतन मिलता है, जिससे रेस्पोडेन्टस आराम से जीवन व्यतीत कर रहे है जबकि अपीलान्ट अत्यधिक वृद्व कमजोर महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है तथा अपीलान्ट की कोई आय का जरिया नहीं है तथा अपीलान्ट की हारी बीमारी में भी काफी पैसा खर्च होता है,इस कारण से रेस्पोडेन्ट से अपीलान्ट को स्वयं के भरण पोषण, कपडा लत्ता, हारी बीमारी इलाज आदि के लिए कम से कम 20,000/– की रकम दिलाये जाने के आदेश चाहे गये थे, किन्तु अपीलाधीन आदेश से अत्यधिक कम राशि के आदेश पारित किये है । यह सब तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के भली भांति साबित था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थीया अपीलांट ने अपने समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन राजेश्वर प्रसाद रॉय बनाम बिहार राज्य और अन्य एसएलपी (सी) नम्बर –7675 /2024 पेश कर रही है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट को सम्पत्ति मकान नम्बर 123 बैकुंठपुरी राजनगर कोटा में शांतिपूर्वक निवास करने देवें, उसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें, सम्पत्ति मकान से अपीलांट को जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास नहीं करें, सम्पत्ति मकान को हडप कर अन्यत्र बैचान व खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करें, इस हेतु पाबन्द किया जावें तथा प्रर्थीया अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से स्वयं के जीवन निर्वाह, भरण पोषण कपडा लत्ता हारी बीमारी, इलाज इत्यादि के लिए 20,000/– रू0 की राशि दिलवाई जावें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 के मध्य माता व पुत्र के सम्बन्ध है और रेस्पोडेन्ट कम 2, अपीलांट की पुत्रवधु है । अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 के साथ मिलीभगत कर बहुत ही चतुराई पूर्वक मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों का सृजन करते हुये रेस्पोडेन्ट कम 2 को वैवाहिक घर से परित्याग करने के दुराशय से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सहायता प्रदान की गई थी, तदुपरान्त भी अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 से दुर्भावना रखते हुए एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 को वैवाहिक घर व सांझा गृह से बेदखल करने के दुराशय के चलते पूर्ण विधिक परामर्श करते हुये अपील प्रस्तुत की गई है ताकि रेस्पोडेन्ट कम 2 को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीडित किया जा सकें और आर्थिक रूप से खर्चे से जैरबार किया जा सकें । तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्व अपील एक सोची समझी साजिश व षडयंत्र के तहत रेस्पोडेन्ट कम 2 को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत किये जाने से अपीलांट की अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट कम 2 इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाये जाने योग्य है । अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 ने आपस में साजिश व षडयंत्र रचकर एक राय होते हुये रेस्पोडेन्ट कम 2 से विवाह के पश्चात से ही दहेज की मांग

करते हुये रेस्पोडेन्ट कम 2 को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीडित किया जाने लगा और आये दिन तरह तरह की यातनाऐं देते हुये मारपीट की जाने लगी, लात घूंसों व डण्डे से मारपीट करते हुये शारीरिक रूप से पीडा पहुंचायी जाती और उसके प्रति जान से मारने का दुराशय रखते हुये आये दिन नये नये षडयंत्र रचते रहते और नित्य प्रतिदिन घरेलू हिंसा घटित करते रहते है । अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 के द्वारा इसी कम में रेस्पोडेन्ट कम 2 पर जान से मारने की नियत से वार किया, जिससे उसके सिर में अंदरूनी व संघातक चोट कारित हुई एवं घुटने व शरीर के अन्य भागों में भी चोटें कारित हुई और तत्पश्चात अपीलांट के अपने पुत्रों के साथ षडयंत्र रचकर रेस्पोडेन्ट कम 2 के समस्त सोने चांदी के आभूषण, स्त्रीधन व अन्य कीमती सामान जबरन ताकत के बल पर छीनकर अपने कब्जे में करते हुये रेस्पोडेन्ट कम 2 के प्रति किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं रखते हुये वैवाहिक गृह / सांझा गृह से बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से रेस्पोडेन्ट कम 2 को एक व्यथित महिला की भांति जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर होना पड रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 2 को वैवाहिक घर से जबरन समस्त सामान छीनकर निकाल दिये जाने और उसके समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर दहेज प्रताडना घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम एवं मासिक भरण पोषण राशि स्वीकृति हेतु विधिक कार्यवाहियां पुलिस थाना एवं न्यायालय में संस्थित की गई जो कि विचाराधीन चली आ रही है । उक्त प्रस्तुत कार्यवाहियों के तहत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 2 कोटा द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में अंतरिम मासिक भरण पोषण राशि स्वीकृत की गई है साथ ही रेस्पोडेन्ट कम 2 को अपीलांट व उसके पुत्रों द्वारा वैवाहिक घर से बिना किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाऐं बिना बेदखल करने से स्पष्ट रूप से पाबंद किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है । इसके बावजूद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 आपस में षडयंत्र रचकर येन केन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट कम 2 को जबरन बेदखल करने पर आमादा है और इसी प्रकार का कुत्सित प्रयास करते चले आ रहे है जबकि भारत देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों एवं दृष्टान्त के माध्यम से विधि को स्थापित किया हुआ है कि–" **यदि कोई विवाहित महिला अपने ससुराल में अपने पति के साथ शांति पूर्वक निवास कर रही है और अपने समस्त दाम्पत्य कर्तव्यों व दायित्वों का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ पालन करती चली आ रही है और ऐसी महिला का आचरण व व्यवहार प्रारम्भ से ही उसके वैवाहिक घर के अनुरूप रहा है तो ऐसी विवाहित महिला को वैवाहिक गृह एवं सांझा गृह से येन केन प्रकारेण बेदखल नहीं किया जा सकता जबकि उक्त महिला के उसके वैवाहिक घर की सांझा चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार निहित नहीं हो । यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है और वह सम्पत्ति से अपनी पुत्रवधु को अकारण ही बेदखल करना चाहे तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति का स्वअर्जित होना आवश्यक है ।**" उक्त तथ्य से भलीभांति अवगत होने के बावजूद अपीलांट एवं उसके पुत्रों के द्वारा आपस में दुरभि संधि करते हुये यह कार्यवाही प्रस्तुत की है ।

5. रेस्पोडेन्ट कम 2 ने आगे यह भी तथ्य प्रकट किये है कि रेस्पोडेन्ट कम 2 ने न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, नम्बर 1 कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 बीएनएस के तहत अपने पति रेस्पोडेन्ट कम 1 के विरूद्व प्रस्तुत किया हुआ है जो कि विचाराधीन चला आ रहा है । उक्त प्रकरण के तहत मासिक भरण पोषण राशि अदायगी के विधिक व नैतिक दायित्व से उन्मोचित होने के दुराशय के चलते अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 के द्वारा आपस में दुरभि संधिक कर रेस्पोडेन्ट कम 2 के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । रेस्पो0 कम 2 के द्वारा अपने पति रेस्पोडेन्ट कम 1 के विरूद्व पुलिस थाना में मारपीट व झगडा फसाद करने पर एक रिपोर्ट दिनांक 01.01.2022 को एक शपथ पत्र इस आशय का राजीनामा स्वरूप दिया गया था कि मैं और मेरी पत्नी मेरे पैतृक मकान की दूसरी मंजिल पर अलग से रहेगे, जहां पर मेरे घर वालों माता, बहिन व भाई आदि का आना जाना नहीं रहेगा और मेरी पत्नी के साथ किसी भी परिस्थिति में गाली गलोच या मारपीट नहीं करूंगा और हमारे आपसी मनमुटाव व झगडा होने की स्थिति में मेरे घर वाले

एवं ससुराल वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हम दोनों आपस में निस्तारण करेंगे । जिसका इंद्राज दिनेश कुमार रावल नोटेरी के रजिस्टर नम्बर 1041 पर दर्ज है उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों से बचने के लिये अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 के साथ दुरभि संधि कर उक्त अपील एवं प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की गई है जो कि खारिज फरमाये जाने योग्य है । अतः अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 के मध्य प्रारम्भ से ही दुरभि संधि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमायी जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीण को प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान नं0 123 बैकुंठपुरी, राजनगर कोटा से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीया अपीलांट को दिया जाने का अनुतोष चाहा गया था तथा भरण पोषण के रूप में 20,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से प्रार्थीया को अदा करने का अनुतोष चाहा गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 06.11.2025 से प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष अप्रार्थीगण की बेदखली अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र आंशिक़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के भरण पोषण की राशि अदा करने के लिए अप्रार्थी नं0 1 व 3 को पाबन्द किया गया कि वह अपनी माता को 2500/–, 2500/– मासिक अर्थात 5,000/– रूपये जरिये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें । अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 06.11.2025 की अप्रसन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है ।

7. अपीलांट का इस अपील में मुख्य तर्क है कि मकान नं0 123 बैकुंठपुरी, राजनगर कोटा प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान है, अप्रार्थीगण प्रार्थीया के मकान में लाईसेंसी के रूप में निवास कर रहे है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अभद्रता, लडाई झगडा करते है, भरण पोषण, खाना पीना आदि व्यवस्था अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की जा रही है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट नं0 2 का तर्क है कि अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 के साथ मिलीभगत कर बहुत ही चतुराई पूर्वक मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों का सृजन करते हुये रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को वैवाहिक घर से परित्याग करने के दुराशय से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सहायता प्रदान की गई थी, तदुपरान्त भी अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से दुर्भावना रखते हुए एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को वैवाहिक घर व सांझा गृह से बेदखल करने के दुराशय के चलते पूर्ण विधिक परामर्श करते हुये अपील प्रस्तुत की गई है ताकि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीडित किया जा सकें और आर्थिक रूप से खर्चे से जैरबार किया जा सकें । रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, नम्बर 1 कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144बीएनएस के तहत अपने पति रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के विरूद्व प्रस्तुत किया हुआ है जो कि विचाराधीन होना रेस्पो0 नं0 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से जाहिर होता है ।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 पति–पत्नि के मध्य पारिवारिक विवाद है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए है, इससे यह जाहिर है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 द्वारा दुरभि संधि करके रेस्पोडेन्ट नं0 2 को घर से बाहर निकालना चाहते है । अपीलांट का प्रकरण सीनियर सिटीजन एक्ट की मंशा के अनुरूप नहीं है । वैसे भी अपीलांट के भरण पोषण के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 को 2500/–, 2500/– कुल 5000/– अपीलांट को अदा करने के आदेश पारित किये हुये है । अपीलांट द्वारा इस अपील के जरिये उक्त वर्णित मकान नं0 123 बैकुंठपुरी, राजनगर कोटा रेस्पोडेन्टगण की बेदखली का चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं पाते है । वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय एसएलपी (सी) नम्बर –7675 /2024 इस प्रकरण में पूर्णरूप से लागू नहीं होता है ।

9. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2025 में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.4.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा